

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक

/वि.स./स्था./2022

रायपुर, दिनांक / /2022

//कार्यालय-सूचना//

आदेशानुसार, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 (1) के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) को प्रतिवर्ष अचल संपत्ति का विवरण पत्रक दिनांक 31 जनवरी तक प्रस्तुत करना आवश्यक है।

अतः विधानसभा सचिवालय में पदस्थ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के समस्त अधिकारी /कर्मचारी संपत्ति विवरणीय पत्रक स्थापना शाखा से प्राप्त कर आवश्यक पूर्ति उपरांत दिनांक 20 जनवरी, 2023 तक स्थापना शाखा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

आदेश से,



संचालक,


छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर, दिनांक 06/12/2022

पृ.क्रमांक 11599/वि.स./स्था.2022

प्रतिलिपि

- 01.मा.अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मा. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
- 02.मा. नेता प्रतिपक्ष, छ.ग. विधान सभा के विशेष सहायक को मा. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
- 03.सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 04.सर्वसंबंधित अधिकारी/कर्मचारी छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ।
- 05.सर्वर कक्ष।


प्रशासकीय अधिकारी

छत्तीसगढ़ विधान सभा